रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 3 जुलाई, 1974
आषाढ़ 12, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1899/सत्रह-वि-1-48-74

लखनऊ, 3 जुलाई, 1974

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 29 जून, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1974

उ०प्र० अधिनियम सं० 15, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, श्रेणीकरण और मूल्य को नियंत्रित करने तथा उसके संभरण और वितरण को लोक-हित में, विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये।

अधिनियम"

प्रस्तावना का निकाला जाना

3—मूल अधिनियम की प्रस्तावना निकाल दी जाय।

धारा 3 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, शीरे के संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, मूल्य, संभरण तथा निस्तारण पर नियंत्रण रखने से सम्बंद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिये एक परामर्शी समिति संघटित कर सकती है।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, संभरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भूगृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।"

नयी धारा 7 का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

शीरे के लिए आवेदन-पत्र

"7—(क) (1) कोई व्यक्ति, जिसे अपनी आसवनी के लिये अथवा औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिये शीरे की आवश्यकता हो उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अपेक्षित है निर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को नियत रीति से आवेदन-पत्र दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और उस मामले में ऐसी जांच करने के पश्चात्, जिसे वह उचित समझे, नियंत्रक धारा 8 के अधीन आज्ञा दे सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र का निस्तारण करने में, नियंत्रक निम्नलिखित पर विचार करेगा —

(क) शीरे की सामान्य उपलभ्यता ;

(ख) शीरे की विभिन्न आवश्यकतायें;

(ग) शीरे की लोक-हित में सदुपयोगिता ;

(घ) सीमा जिस तक आवेदक की आवश्यकतायें यथार्थ हैं ;

(ङ) आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ ऐसे शीरे के जिसे आवेदक प्राप्त कर सकता हो, व्यपवर्तन की युक्तियुक्त संभाव्यता अथवा असंभाव्यता;

और यदि आवेदन-पत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाय तो वह उसके लिये कारणों को अभिलिखित करेगा।"

धारा 8 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(कक) खंड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस धारा के अधीन दी गई आज्ञा के अन्तर्गत उसे संभरित शीरे का उपयोग धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये करे और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों का, जो नियत की जायें, अनुपालन करे।"

नयी धारा 10-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिये निधि

"10-क—शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी धारा 10 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट अनुसूची में विभिन्न श्रेणियों के शीरे के लिये नियत मूल्य से नीचे उल्लिखित धनराशि अथवा ऐसी अन्य धनराशि, जिसे राज्य सरकार तदर्थ अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण में उपयोग करने के लिये एक पृथक् निधि में रखेगा :

		रु०
प्रथम श्रेणी शीरा	प्रति 100 किलोग्राम	0.33
द्वितीय श्रेणी शीरा	प्रति 100 किलोग्राम	0.27
तृतीय श्रेणी शीरा	इसमें अपचायक शक्कर की मात्रा के प्रत्येक 40 किलोग्राम के लिये	0.20

9—मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:— धारा 15 का संशोधन

"(1) धारा 14 के अधीन अभिगृहीत किसी शीरे या किन्हीं वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट, ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिकारितायुक्त मैजिस्ट्रेट को की जायगी, जो ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और शीरे का नमूना लेने के पश्चात् नियंत्रक की आज्ञाओं के अनुसार उसका निस्तारण करने के लिये ऐसे निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।"

10—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात् :— अनुसूची का संशोधन

"अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)	पात्रों में भरने तथा पार्श्ववायन के व्यय सहित प्रति विवटल शीरे का अधिकतम मूल्य
1	2	3
		रु०
प्रथम ..	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर ..	1.00
द्वितीय ..	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक ..	0.80
तृतीय ..	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक ..	0.60

टिप्पणी—तृतीय श्रेणी से निम्न किस्म के शीरे के लिये उसमें प्रत्येक 40 किलोग्राम अपचायक शक्कर की मात्रा का मूल्य 60 पैसे होगा।"

11—(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1974

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य, इस अधिनियम के अधीन की गयी बात अथवा किया गया कार्य समझा जायगा, मानो वह अधिनियम सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था। निरसन तथा अपवाद

No. 1899 (2) /XVII-V-1—48-74

Dated Lucknow, July 3, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 29, 1974 :

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) ACT, 1974

(U. P. Act No. 15 of 1974)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

"AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) *Adhiniyam*, 1974.

Amendment of long title of U.P. Act XXIV of 1964.

2. *For* the long title of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran *Adhiniyam* 1964 (hereinafter referred to as the principal Act), the following shall be *substituted* namely:—

"AN

ACT

to provide in public interest for the control of storage, gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof."

Omission of preamble.

3. The preamble to the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 3.

4. In section 3 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The State Government may, by notification in the *Gazette* constitute an Advisory Committee to advise on matters relating to the control of storage, preservation, gradation, price, supply and disposal of molasses."

Amendment of section 7.

5. In section 7 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The Controller may, with a view to ensuring proper storage, preservation, gradation, supply or disposal of unadulterated molasses, require the occupier of a sugar factory to remove any adulterated molasses from the premises of the factory within a reasonable period to be specified by him and the occupier shall within the time allowed comply with the requirement."

Insertion of new section 7-A.

6. *After* section 7 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

"7-A. (1) Any person, who requires molasses for his distillery or for any purpose of industrial development may apply in the prescribed manner to the Controller specifying the purpose for which it is required.

Application for molasses.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) and after making such inquiries in the matter as he may think fit, the Controller may make an order under section 8.

(3) In disposing of an application under sub-section (1), the Controller shall consider—

(*a*) the general availability of molasses;

(*b*) various requirements of molasses;

(*c*) the better utilization to which molasses may be put in the public interest ;

(*d*) the extent to which the requirements of the applicant are genuine ;

(*e*) reasonable likelihood or otherwise of the molasses that may be obtained by the applicant being diverted to purposes other than those specified in the application;

and where the application is rejected in whole or in part, he shall record reasons therefor."

Amendment of section 8.

7. In section 8 of the principal Act *after* clause (*a*) of sub-section (2), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*aa*) may require the person referred to in clause (*a*) to utilise the molasses supplied to him under an order made under this section for the purpose specified in the application made by him under sub-section (1) of section 7-A and to observe all such restrictions and conditions as may be prescribed."

Insertion of new section 10-A.

8. *After* section 10 of the principal Act, the following section shall be *inserted* namely :—

"10-A. Every occupier of a sugar factory shall from the price prescribed in the Schedule referred to in sub-section (1) of section 10 for different grades of molasses, place in a separate fund the amount mentioned below or such other amount as the State Government may notify in that behalf for being utilised for provision and maintenance of adequate storage facilities in accordance with general or special orders issued from time to time by the Controller :

Funds for regulation of adequate storage facilities.

Grade I molasses	..	Re.0.33 per 100 kilograms.
Grade II molasses	..	Re.0.27 per 100 kilograms.
Grade III molasses	..	Re.0.20 for every 40 kilograms of reducing sugar content therein."

Amendment of section 15.

9. In section 15 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted* namely :—

"(1) A report about any molasses or articles seized under section 14 shall as soon as may be after such seizure, be submitted to the Magistrate having jurisdiction, who may after making such inquiry, if any, as he considers necessary and after taking samples of the molasses give such directions for its disposal in accordance with the orders of the Controller as he may think it."

Amendment of the Schedule.

10. *For* the Schedule of the principal Act, the following Schedule shall be *substituted*, namely :—

"SCHEDULE

(*See* SECTION 10)

Grade	Percentage of total sugar contents of molasses (expressed as reducing sugar)	Maximum price per quintal of molasses, including loading and shunting charges
1	2	3
		Rs. P.
I	500 per cent and above	1.00
II	44 per cent to 49.99 per cent	0.80
III	40 per cent to 43.99 per cent	0.40

NOTE—For quality of molasses below Grade III, the price will be Re.0.60 for every 40 kilograms reducing sugar content therein."

Repeal and saving.

11. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 1974, is hereby repealed. U, P. Ordinance no 10 of 1974

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव :

पी०एस०यू० पी०—ए० पी० 149 राजपत्र (हिन्दी)—849—1974—2,095+230 (मा०)।